एफ.सं. 524/05/2021-एसटीओ (टीयू)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

*****

दिनांक: 17 अगस्त, 2021
नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क / सीमा शुल्क (निवारक),
सभी प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय कर,
सभी प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमा शुल्क / सीमा शुल्क (निवारक),
सभी प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय कर
सीबीआईसी के अंतर्गत सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक

महोदय/महोदया,

विषय: निदेशालयों/आयुक्तालय/लेखापरीक्षा द्वारा निर्देश और स्पष्टीकरण : सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 151क क्षेत्र - के संबंध में।

जैसा कि आप जानते हैं, जांच, लेखापरीक्षा या जोखिम विश्लेषण आदि के दौरान पाई गई कार्यप्रणाली, निष्कर्षों या विचारों पर सूचना साझा करने को बढ़ावा देने के लिए सभी जोन के निदेशालयों/आयुक्तों/लेखा परीक्षा द्वारा परिपत्र/रिपोर्ट/अलर्ट आदि जारी करने की प्रथा मौजूद है। इससे निष्कर्षों के एकसमान अनुप्रयोग में मदद मिली है जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की सुरक्षा और अनुपालन के बेहतर प्रवर्तन में मदद मिली है। हालांकि, यह देखा गया है कि कई मौकों पर, वे संदेश जारी किए जाते हैं जो या तो बोर्ड द्वारा जारी एक मौजूदा परिपत्र के विपरीत होते हैं या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 151क के अंतर्गत आने वाले मामलों पर बोर्ड के अनुमोदन के, या संदर्भ के बिना तल्लीन होते हैं।

2. इस संबंध में, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 151क के संदर्भ में ध्यान दे जो अकेले बोर्ड को माल के वर्गीकरण में एकरूपता के उद्देश्य से या उस पर शुल्क के संबंध में आदेश/निर्देश जारी करने का अधिकार देता है, इस अधिनियम या कानून के किसी अन्य प्रावधान का कार्यान्वयन, जहां तक वे माल के आयात या निर्यात के लिए किसी भी निषेध, प्रतिबंध या प्रक्रिया से संबंधित हैं।

3. इसके अलावा, यह सराहना की जा सकती है कि धारा 151क के तहत कवर किए गए इन मामलों में कई हितधारकों, मंत्रालयों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को शामिल करते हुए व्यापक परामर्श की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में, इस प्रकार के मामलों को बोर्ड को संदर्भित करने से ऐसे मुद्दों का समग्र विश्लेषण करने और अनावश्यक विवादों और मुकदमेबाजी से बचने के लिए एक समेकित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

4. तदनुसार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 151 ए के अनुरूप, माल के वर्गीकरण के सभी मामलों पर एक मानक अभ्यास स्थापित करने के लिए, उस पर शुल्क लगाने के संबंध में और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के किसी अन्य प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए या कोई अन्य कानून लागू करने के समयण् जहां तक वे माल के आयात या निर्यात के लिए किसी भी निषेध प्रतिबंध या प्रक्रिया से संबंधित हो, यह इस अधिनियम के द्वारा निदेशित किया गया है कि-

i. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 151क के अंतर्गत आने वाले मामलों पर निदेशालय/आयुक्तालय/लेखापरीक्षा कोई परिपत्र/रिपोर्ट/अलर्ट आदि जारी नहीं करेगा जो एकरूपता के लिए व्याख्या/स्पष्टीकरण/प्रेषक्रिप्शन की प्रकृति का हो; ऐसे सभी मामलों पर स्पष्टीकरण केवल सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 151क के तहत बोर्ड द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
ii. ये निर्देश निदेशालयों/आयुक्तों/लेखापरीक्षा के अधिदेश को दूर नहीं करते हैं-

क) ऐसे मामलों से संबंधित मामलों का विश्लेषण/जांच करना।

ख) सर्कुलर/रिपोर्ट/अलर्ट जारी करने जो प्रथाओं में विचलन या अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन या धारा 151 क के तहत जारी निर्देशों के उल्लंघन को इंगित करता है।

ग) कार्यप्रणाली या टिप्पणियों और महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर परित्र/रिपोर्ट/अलर्ट जारी करता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस तरह के मामलों में निदेशालयों/आयुक्तालयों/लेखापरीक्षा का तर्क या राय या निष्कर्ष किसी बोर्ड परिपत्र/निर्देश के विपरीत पाया जाता है, तो इसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाना चाहिए और कोई परिपत्र/रिपोर्ट/अलर्ट आदि जारी करने से पहले इसकी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।

5. उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन में किसी भी कठिनाई को बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है।

आपका,

(अनंत रथकृष्णन)
उप सचिव (सीमा शुल्क)
ईमेल : dircus@nic.in
दूरभाष- 011-23095551